## न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
### पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

**राजस्व अपील संख्या 208/2022**

अपीलाण्ट — वनाम — रेस्पोडेन्ट्स

चेनाराम पुत्र रतनाराम जाट
निवासी चैराई, तहसील तिंवरी,
जिला जोधपुर

1. गोरखाराम पुत्र लादूराम
2. नेमाराम पुत्र लादूराम
3. चनणाराम पुत्र लादूराम
4. रामूराम पुत्र लादूराम
5. वंशीलाल पुत्र लादूराम
(जाति जाट, निवासी ग्राम चैराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर)
6. खेताराम पुत्र रतनाराम
7. कुम्भाराम पुत्र रतनाराम
(जाति जाट, निवासी ग्राम चैराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर)
8. सरपंच ग्रा0पं0 चैराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 18.04.2022 राजस्व अपील संख्या 03/2021 अनवान चेनाराम बनाम गोरखाराम वगैरा

उपस्थित–
1. श्री किसनाराम विश्नोई, वकील अपीलांट
2. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
3. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

## निर्णय

दिनांक 19.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 03/2021 अनवान चेनाराम बनाम गोरखाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–चेनाराम द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में यह आग्रह किया गया कि ग्राम

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

चैराई वर्तमान ग्राम अर्जुनदेव नगर के खसरा नम्बर 1627 रकबा 71.16 बीघा व 1626 रकबा 3 बिस्वा भूमि रतनाराम पुत्र जीयाराम के खातेदारी में दर्ज थी। रतनाराम का एक पुत्र लादूराम, नेनु पत्नी सुमेला के गोद चला गया था। उसके उपरांत रतनाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1378 में सरपंच ग्रा0पं0 चैराई द्वारा लादूराम का नाम दर्ज कर दिया गया, जो कानूनन सही नही होने निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया। उक्त अपील मियाद बाहर एवं मेरिट पर सारहीन होने से संपूर्ण विवेचान के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2022 के द्वारा खारीज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया ग्राम चैराई वर्तमान ग्राम अर्जुनदेव नगर के ख0नं0 1627 व 1626 की कुल रकबा 71.19 बीघा भूमि पूर्व में मूल खातेदार रतनाराम पुत्र जीयाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिनका फौतेदगी ना0क0 1378 रतनाराम के वारिसान–चारो पुत्रों के नाम स्वीकृत किया गया। जो आज दिन तक यथावत है, किन्तु मौके पर कब्जा काश्त व ढाणियां अपीलांट तथा रेस्पो0सं0 6 व 7 का चला आ रहा है। रतनाराम के जीवनकाल में उनका एक पुत्र लादूराम, नेनू पत्नी समेलाराम के गोद चला गया था, जिसके फलस्वरूप नेनू पत्नी समेला के देहांत के पश्चात इनकी खातेदारी भूमि का फौतेदगी ना0क0सं0 78 लादूराम को गोद पुत्र अंकित कर स्वीकृत किया गया। जिसकी सत्यप्रति प्रथम अपील के साथ प्रस्तुत की गई थी, जिसे अनदेखी कर अपीलांट की अपील विधिविरूद्ध खारिज कर दी गई। कानूनन लादूराम के गोद जाने के बाद रतनाराम की खातेदारी भूमि का ना0क0 लादूराम के नाम से नही भरा जाना चाहिए। अपीलांट को इस बात की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसे बिना आधार के ही लादूराम को गोद पुत्र स्वीकार नही किया गया तथा मियाद बाहर होने का आधार मानकर अपील खारिज कर दी गई।

प्रमाणित सत्यापित आयुक्त
जोधपुर

एडोप्सन एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गोद जाता है, तो यह माना जाता है कि वह जिस परिवार से गोद गया है, वहां उसे मृत माना जावेगा तथा जिस परिवार में गोद गया है, वहां गोद पुत्र का जन्म माना जावेगा। इस प्रकार गोद पुत्र केवल गोद गये पिता की सम्पति का ही हकदार होगा, न कि दोनों जगह। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नही किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा रतनाराम का फौतेदगी ना0क0सं0 1378 मौका कब्जे एवं वारिसों की जांच किए बिना स्वीकृत कर लिया गया, जो वाईड एव इनियिशयों की श्रेणी में आता है तथा इस प्रकार के आदेश को चेलेन्ज करने में लिमिटेशन का कोई प्रावधान नही है। इसी प्रकार नेनू का फौतेदगी ना0क0सं0 78 लादूराम के गोद पुत्र की हैसियत से पारित किया गया है, फिर भी लादूराम को गोद पुत्र नही मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की है। इसके अलावा विचारण न्यायालय के समक्ष स्व0 रतनाराम के तीनों पुत्रों प्रत्यर्थी सं0 1 से 5 के पिता–लादुराम को नेनू पत्नी समेला के गोद जाने का लिखित में बयान गवाह दिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विधि, विधान एवं संचिका के विपरित होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पो0 का अपने हक–हिस्से अनुसार निरतंर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अपीलांट एवं रेस्पो0 के पिता रतनाराम के नाम से ग्राम प्रहलादपुरा चामु तहसील शेरगढ़ में भी भूमि थी। जिसका रतनाराम के फौत होने पर अपीलांट–चेनाराम स्वयं ने ना0क0सं0 107 भरवाया, जिसकी पुश्त पर वंशावली को प्रमाणित व स्वीकार करने के हस्ताक्षर स्वयं अपीलांट–चेनाराम के द्वारा किए गये। जिससे स्पष्ट व प्रमाणित है कि अपीलांट ने यह स्वीकार किया है कि रतनाराम के लादूराम सहित चारों पुत्र विधिक उत्तराधिकारी है। लादूराम, नेनू पत्नी सुमेला के गोद नही था, यदि गोद होता तो अपीलांट उक्त ना0क0सं0 107 में लादूराम को रतनाराम का उत्तराधिकारी होना स्वीकार नही करता तथा इस ना0क0 की वंशावली को प्रमाणित नही करता। अब इतने वर्षो बाद अपीलांट की नियत खराब होने के कारण राजस्व रेकर्ड में गलत एन्ट्री के आधार पर लादूराम को नेनु

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

का गौदपुत्र बता रहा है। जबकि अपीलांट ने गोदनामा की प्रति व सबूत पेश नही किया है। रेस्पो0 के पिता लादुराम का नेनु के गोद होने का कोई सबूत व दस्तावेज नही है। बल्कि लादूराम, रतनाराम का पुत्र होने का तथ्य ना0क0सं0 107 के अलावा ग्राम चामु के ना0क0सं0 1516, 1517 से प्रमाणित है। उक्त नामान्तरकरणों की अपीलांट को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी आज तक अपीलांट ने कोई अपील वगैरा नही की गई। इसके अतिरिक्त लादूराम के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ग्रामसेवा सहकारी समिति के कर चुकता प्रमाण–पत्र, वोटर लिस्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि में लादूराम की वल्दियत रतनाराम ही दर्ज है। यदि लादूराम, नेनु पत्नी सुमेला का गोदपुत्र होता तो उक्त दस्तावेज में वल्दियत रतनाराम की नही होती। इन सभी दस्तावेजों से प्रमाणित है कि रेस्पो0 के पिता लादुराम किसी के गोदपुत्र नही थे, बल्कि रतनाराम के पुत्र व उत्तराधिकारी थे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने द्वेष भावना से रेस्पो0 के हक हिस्से व कब्जे की भूमि को हडपने की नियत झूठे तथ्यों पर आधारित व बिना किसी सबूत व आधार के मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर तथा मेरिट पर भी सारहीन होने से खारिज कर दिया गया। अपीलांट ने अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत अपील का कोई संतोषजनक व उचित कारण भी नही बताया गया। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्ण विवेचन के उपरांत विधिसम्मत पारित होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा मियाद को कण्डोन किए बिना अपील का गुणावगुण पर निस्तारण नही करने संबंधी सूचीबद्ध न्यायिक दृष्टांत का प्रस्तुत किए गये।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया जाता है कि अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 1378 मृतक खातेदार–रतनाराम के फौत होने पर उनके उत्तराधिकारी 4 जायंदा पुत्रान के नाम भरा गया है, जिसमें रेस्पो0सं0 1 से 5 के पिता स्व0 लादुराम का नाम भी अंकित है। रतनाराम के नाम ग्राम प्रहलादपुरा चामु तहसील शेरगढ़ की अन्य भूमि का फौतेदगी ना0क0सं0 107

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 10.12.01 की पुश्त पर रतनाराम का कुसीनामा (वंशावली) को प्रमाणित व स्वीकार करने के हस्ताक्षर स्वयं चेनाराम के अंकित है। इसके अलावा ग्राम चामु के ना0क0सं0 1516, 1517 की पुश्त पर अंकित कुर्सीनामा में भी लादूराम, रतनाराम का पुत्र होने का तथ्य अंकित है। इस स्थिति में आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत होने से, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा राजस्व अपील संख्या 03/2021 बअनवान चेनाराम बनाम गोरखाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19-1-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

19/1/26
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर